कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल ।

निविदा सूचना

कैलाश मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा 2017 में जाने वाले यात्रियों को काठगोदाम–धारचूला वाया अल्मोड़ा (रात्रि विश्राम, अल्मोड़ा), बाड़ेछीना, धौलछिना, शेराघाट, राईआगर, बेरीनाग, चौकोड़ी, थल, मिर्थी, ओगला जौलजीवी तथा वापसी में धारचूला से काठगोदाम वाया जौलजीवी, ओगला, पिथौरागढ़, धाट, जागेश्वर (रात्रि विश्राम, जागेश्वर) बाड़ेछीना, अल्मोड़ा (आना–जाना) तथा पैकेज टूअर/विभागीय कार्यो हेतु टूर एण्ड टैवल्स एजेन्सी निजी वाहन स्वामियों से यातायात व्यवस्था हेतु बड़े वाहन (ए0सी0/नॉन ए0सी0 जैसे– 12 सीटर/15 सीटर/27 सीटर लक्जरी टाटा, टैम्पो ट्रेवलर, विंगर इत्यादि) तथा छोटे वाहन जैसे आल्टो, सेन्ट्रो, बैगनार, इनोवा, टवेरा (ए0सी0/नॉन ए0सी0) की आवश्यकता है । कैलाश मानसरोवर यात्रियों के सामान ढुलान हेतु छोटे ट्रक की भी आवश्यकता है । आदि कैलाश यात्रियों का यात्रा मार्ग जाते समय दिल्ली –काठगोदाम – अल्मोड़ा– पाताल भुवनेश्वर– धारचूला– मॉगती तथा लौटते समय, मॉगती–धारचूला– जागेश्वर– काठगोदाम से दिल्ली तक का होगा, जिस हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

दिनॉक 07.4.2017 को 02 बजे अपरान्ह तक प्राप्त होने वाली निविदा मान्य होगी। निविदाये टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी जो उसी दिन 3.00 बजे अपरान्ह निगम मुख्यालय, कार पार्किग, सूखाताल, नैनीताल में उपस्थित टैण्डरदाताओं के सम्मुख निगम की गठित समिति द्वारा खोली जायेगी । निविदा के साथ धरोहर राशि रू0 1.00 लाख (एक लाख) का बैक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा । निविदा की शर्ते व आवेदन प्रारूप निगम मुख्यालय/पर्यटक आवास गृह, धारचूला/काठगोदाम से निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 2,000.00 (दो हजार रूपये मात्र) **+** वैट जमा कर किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा संबन्धित विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट **www.kmvn.gov.in** में देखी जा सकती है तथा डाऊनलोड भी की जा सकती है ।

निविदा/निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा ।

प्रबन्ध निदेशक

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1– टेण्डरदाता का नाम श्री. . . . .

2– पिता /पति का नाम . . . .

3– स्थायी पता . . . .

. . . .

4– पत्राचार का पता. . . . .

. . . . pेन नम्बर/टिन नम्बर . . . .

5– टेण्डरदाता का सम्पर्क नम्बर . . . . मोबाईल नम्बर . . . .

6– धरोहर राशि हेतु बैक ड्राफ्ट संख्या . . . . दिनांक . . . .

7– जारी करने वाले बैक का नाम . . . .

8– टेण्डर फार्म की राशि रू0 . . . . रसीद सं0 . . . . .दिनांक . . . .

वाहनो का प्रकार

क्र0म0	बडे वाहन	वाहनो की दरे	
		नांन ए0सी0	हाल्ट चार्ज
1.	15 सीटर लक्जरी पुस बैक सीट		
2.	27 सीटर लक्जरी पुस बैक सीट (टाटा कम्पनी की)		
3.	12 सीटर टैम्पो ट्रेवलर पुस बैक सीट		
4.	15 सीटर विंगर पुस बैक सीट		
5.	ट्रक		
	छोटे वाहन		
6.	आल्टो		
7.	सैन्ट्रो		
8.	बैगनार		
9.	इनोवा		
10.	टवेरा		

टेण्डरदाता के हस्ताक्षर

निविदा जारी करने वाला अधिकारी

निविदा खोलने वाला अधिकार

निविदा स्वीकृत करने वाला अधिकारी

नियम व शर्ते

1– प्रथम पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा टुअर्स आयोजित करने की सूचना प्राप्त करने पर द्वितीय पक्ष पर्यटकों को संचालित टूअर्स में ले जाने की व्यवस्था करेगा ।

2– वर्ष 2012 के पहले के वाहन मान्य नही होगे । वाहन आराम देय, नवीन साज सज्जा युक्त हों ।

3– टेण्डरदाता को बसों के भीतरी–बाहरी भाग के रंगीन फोटोग्रफ्स तथा बसों के रजिस्ट्रेशन प्रपत्र संलगन करने अनिवार्य होगे ।

4– टेण्डरदाता को बसों के दो सीटों के मध्य का Boot Space तथा Leg Space स्पष्ट रूप से दर्शित करना होगा ।

5– टेण्डरदाताओं की बसो में Boot Space तथा Leg Space अधिक व आरामदायक वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

6– संचालित भ्रमणों में जाने से पूर्व द्वितीय पक्ष भ्रमण में जाने वाले बसों/टैक्सियों इत्यादि का विवरण पृथक से प्रथम पक्ष के पर्वत टूअर, कार्यालय तल्लीताल, नैनीताल में प्रस्तुत करेगा । जैसे– ड्राइवर का नाम व पता, बस एवं टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नं0 आदि और उसके द्वारा दी गई ऐसी समस्त सूचनाओं के लिये वह स्वंय उत्तरदायी होगा तथा भ्रमण आरम्भ करने से पूर्व यदि वह अतिरिक्त बसों/टैक्सियों आदि का उपयोग करता है,तो उसकी विधिवत सूचना भी उपरोक्त अपेक्षित विवरण के साथ द्वितीय पक्ष, पथम पक्ष के पर्वत टूअर, तल्लीताल, नैनीताल केन्द्रीय आरक्षण केन्द्र, मल्लीताल सूखाताल कार्यालय में, भ्रमण आरम्भ करने से पूर्व देगा ।

7– प्रथम पक्ष के कार्यालय से जो भी कैलाश मानसरोवर एवं आदि कैलाश हेतु टूअर्स ले जाये जायेंगे, उनमें द्वितीय पक्ष द्वारा पूरे स्थानों का नियत टूअर कार्यक्रमानुसार सुचारू रूप से भ्रमण कराया जायेगा व प्रथम पक्ष द्वारा इस निमित्त बनाये गये समस्त नियमों का पालन किया जायेगा व पूर्व निर्धारित टूअर्स के अतिरिक्त बस/टैक्सी बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के अन्यत्र कही नहीं ले जायी जायेगी तथा एसी तथा नॉन एसी बस/टैक्सी प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध करवायी जायेगी ।

8– टुअर के सफल संचालन के पश्चात् ही स्वीकृत दरों के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जायेगा तथा भुगतान प्रबन्धक, पर्वत टूअर द्वारा टूअर सत्यापित किये जाने पर ही होगा । सामान्यतः भुगतान बिल प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर कर दिया जायेगा, किन्तु किसी कारणवश भुगतान में विलम्ब होने पर द्वितीय पक्ष कोई ब्याज या प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा ।

9– टुअर के दौरान कभी भी वाहन (बस/टैक्सी) में तकनीकी खराबी होने पर कैलाश/आदि कैलाश पैकेज के पर्यटकों को द्वितीय पक्ष द्वारा समान स्तर व सुविधापूर्ण अन्य वाहनों की व्यवस्था कर सम्पूर्ण पर्यटक स्थानों पर निश्चित समय में भ्रमण कराया जायेगा एवं इस निमित्त द्वितीय पक्ष द्वारा नियत नियमों तथा समय का सम्पूर्ण पालन किया जायेगा, जिससे प्रथम पक्ष की छवि खराब न हो, जिसका व्यय भार द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा तथा प्रथम पक्ष किसी अतिरिक्त व्यय के लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।

10– द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी ड्राइवर/स्टाफ पर्यटकों के साथ संचालित भ्रमण पर भेजा जायेगा, उसके भोजन/आवास की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा नहीं की जायेगी तथा उसका व्यवहार पर्यटकों हेतु अच्छा होगा तथा वह किसी प्रकार के नशे का सेवन टुअर के दौरान नहीं करेगा ।

11– यात्रा समाप्त होने के पश्चात् द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के पर्वत टुअर्स कार्यालय, तल्लीताल, नैनीताल पर यात्रा समाप्ति की रिपोर्ट देनी होगी । तत्पश्चात् ही उपरोक्त टुअर का भुगतान किया जायेगा ।

12– यह अनुबन्ध दिनॉक 01 जून, 2017 से 05 माह तक अर्थात् दिनॉक 31 अक्टूबर, 2017 तक वैध रहेगा । सेवायें अनुकूल न देने पर प्रथम पक्ष किसी भी समय इस अनुबन्ध को एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर समाप्त कर सकता है ।

13– जिस व्यक्ति या संस्था के नाम वाहनों हेतु टेण्डरदाता की निविदा स्वीकृत हो, उसे इसके उपरान्त जमानत राशि रू0 3.00 लाख (तीन लाख रूपये मात्र की एफ0डी0आर0 जो प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक होगी जमा करनी होगी तथा अनुबन्ध सम्पादित किया जाना होगा । यदि किसी अन्य टेण्डरदाता जिसकी निविदा ट्रक हेतु ही स्वीकृत होती है तो टेण्डरदाता को जमानत के रूप में रू0 2.00 लाख (दो लाख रूपये मात्र) नकद जमा कर अनुबन्ध सम्पादित किया जाना होगा ।

14– जमानत राशि यात्रा समाप्ति के एक माह बाद वापस की जायेगी ।

15– यदि किसी यात्री पर्यटक द्वारा द्वितीय पक्ष/उसके स्टाफ के विरूद्ध लिखित शिकायत प्रथम पक्ष द्वारा जॉचोपरान्त सही पायी गयी, तो प्रथम पक्ष वर्तमान अनुबन्ध बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त करने तथा उसके जमानत की राशि जब्त करने का अधिकारी होगा और इस स्थिति में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से कोई क्षतिपूर्ति पाने या प्रथम पक्ष के विरूद्ध अन्य कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होगा ।

16– इस अनुबन्ध के क्रियान्वयन या इसकी शर्तो के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर प्रथम पक्ष के प्रबन्ध निदेशक को इन विवाद के बिन्दुओं को संदर्भित किया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा । प्रथम पक्ष के प्रबन्ध निदेशक इस हेतु आर्बिटेटर होंगे।

17– इस अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में उपरोक्त शर्त संख्या 16 के अधीन विवाद नहीं निपटने पर न्यायालय में जाने की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार, नैनीताल होगा ।

18– यात्रा में लगायी जाने वाले बसों के चालक/परिचालक को ड्रेस मे होना अनिवार्य है ।

19– इस अनुबन्ध के अन्तर्गत टुअर्स के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति चाहें वह द्वितीय पक्ष को हो या वाहन को या टुअर में जाने वाले पर्यटकों को या किसी स्टाफ या अन्य व्यक्ति को, उसके लिये द्वितीय पक्ष ही पूर्णतया उत्तदायी होगा और प्रथम पक्ष किसी प्रकार का उत्तदायी नहीं होगा ।

20– प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भुगतान की जाने वाले धनराशि में से आवश्यक/नियमानुसार आयकर व आवश्यक सर्विस चार्जेज/कटौती इत्यादि करके ही भुगतान किया जायेगा ।

21– यदि द्वितीय पक्ष के पास प्रथम पक्ष की मॉग के अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते और ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष किसी अन्य पक्ष से बस/टैक्सी लेकर प्रथम पक्ष को उपलब्ध करवायेगा, तो प्रथम पक्ष

ऐसी बाहरी पक्ष को सीधे भुगतान आवश्यक/नियमानुसार आयकर व आवश्यक सर्विस चार्जेज/टैक्स इत्यादि कटौती करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

22– इस अनुबन्ध के अन्तर्गत संचालित टुअर्स के सम्बन्ध में राज्य सरकार या अन्य किसी विधिक प्राधिकारी या प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, नियमों, विनियमों तथा मोटर वाहन से सम्बन्धित कानूनों का द्वितीय पक्ष द्वारा सदैव अनुपालन किया जायेगा ।

23– वाहनों के टूअर बिल दल के साथ नियुक्त गाईड से प्राप्त प्रमाण–पत्र के आधार पर यात्राधिकारी अपनी संस्तुति सहित वाहन प्रभारी, प्रबन्धक पर्वत टूअर, तल्लीताल, नैनीताल को भेजे जायेगे । वाहन प्रभारी बिलों की जांच कर बिल भुगतान हेतु लेखाकार, कैलाश मानसरोवर यात्रा को भेजेंगे। लेखाकार यात्रा बिलों की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक महोदय से प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही करेगे ।

24– बसों का सत्यापन वरिष्ठ प्रबन्धक, पर्वत टूअर्स तल्लीताल, नैनीताल द्वारा किया जायेगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा यात्रा प्रारम्भ होने से अन्त तक किसी भी समय यात्रा अवधि में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों का निरीक्षण किया जायेगा ।

25– वाहनों के सम्बन्ध में यात्रियों/गाइडों से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने की दशा में बिल की 50 प्रतिशत राशि कटौती की जा सकती है ।

26– वाहन स्वामी/ट्रेवल एजेन्सी का PAN/TAN नम्बर व रजिस्ट्रेशन नम्बर जहॉ पंजीकृत है, उसका विवरण संलग्न करना अनिवार्य है ।

27– अन्य शर्तो का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा ।

——— 0 ———